



## न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :-101/2023

### उनवान

रामचन्द्र उर्फ रामू पुत्र प्रभात, उम्र 65 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-वादी-

### बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. नन्ही देवी पुत्री प्रहलाद
3. मनभरी देवी पुत्री प्रहलाद
4. मूलचन्द पुत्र मालीराम
5. मीरा देवी पुत्री मालीराम
6. रतन पुत्र मालीराम
7. सुनील पुत्र मालीराम
8. कजोड़मल पुत्र हनुमान सहाय
9. कैलाशचन्द पुत्र हनुमान सहाय
10. कौशल्या देवी पुत्री मालीराम
11. गंगा देवी पुत्री हनुमान सहाय
12. छोटूराम पुत्र हनुमान सहाय
13. जगदीश पुत्र गुल्लाराम
14. जमना देवी पुत्री हनुमान सहाय
15. देवीसहाय पुत्र सुन्दर
16. पतासी देवी पुत्री गुल्लाराम
17. प्रेम देवी पुत्री गुल्लाराम
18. बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम
19. विमला देवी पुत्री गुल्लाराम
20. भूरी देवी पत्नी मालीराम
21. भंवरी देवी पुत्री प्रहलाद
22. मंजू देवी पुत्री मालीराम
23. मुरली देवी पुत्री गुल्लाराम
24. राजकुमार पुत्र हनुमान सहाय
25. रामकिशोर पुत्र सुन्दर
26. रामजीलाल पुत्र गुल्लाराम
27. रामदयाल पुत्र गुल्लाराम
28. शंकरलाल पुत्र गुल्लाराम
29. शान्ति देवी पुत्री हनुमान सहाय
30. सुभाषचन्द पुत्र गुल्लाराम
31. सुमित्रा देवी पुत्री गुल्लाराम
32. सांवरमल पुत्र सुन्दर
33. सोनी देवी पुत्री प्रहलाद

सहायक कलक्टर  
चौमूँ (जयपुर)

34. सोहनी देवी पुत्री गुल्लाराम
35. हंसा देवी पुत्री गुल्लाराम
36. गोविन्दराम पुत्र सुन्दर
37. फूलचन्द पुत्र गोपीराम
38. मुकेश पुत्र गोपीराम
39. महेश पुत्र गोपीराम
40. शिम्भूदयाल पुत्र सुन्दर

समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

## वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती

### निर्णय

दिनांक:-08.01.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम किशनपुरा, पटवार हल्का किशनपुरा, भू-अभि0 निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वादी की खातेदारी भूमि हाल खाता सं0 195, जिसके खसरा नं0 1026 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 962 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 971 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 974 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 975 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 979 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 981 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 986 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.32 है0, कुल किता 13 का कुल रकबा 2.77 हैक्टेयर, हाल खाता सं0 196 के आराजी खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 989/1552 रकबा 0.05 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर तथा वाके ग्राम उड़गवार उर्फ गुड़लिया, पटवार हल्का गुड़लिया, भू-अभि0 निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 42 के आराजी खसरा नम्बर 51/2 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 52/1 रकबा 3.77 है0, खसरा नम्बर 53/1 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 986/52 रकबा 0.08 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 40 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामू व वादी के पिता का नाम प्रहलाद व प्रभात्या विवादग्रस्त है। वादी का सही नाम रामचन्द्र है तथा वादी के पिता का नाम प्रभात है, जो वादी के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शैक्षणिक दस्तावेजों इत्यादि में दर्ज है लेकिन ग्राम किशनपुरा में स्थित भूमि हाल खाता सं0 195 में वादी का हिस्सा 8/18 भाग में वादी व उसके पिता का नाम रामू पुत्र प्रहलाद तथा खाता सं0 196 में वादी का हिस्सा 7/54 भाग में वादी व उसके पिता का

सहायक क्लर्क  
चौमूं (जयपुर)


मु0सं0-101/2023  
उनवान-रामचन्द्र उर्फ रामू बनाम राज0 सरकार वगै0  
निर्णय दिनांक:-08.01.2025

नाम रामू पुत्र प्रहलाद तथा ग्राम उड्ग्वार उर्फ गुडलिया में स्थित भूमि हाल खाता सं0 42 में वादी का निहित हिस्सा 177/926 भाग में वादी के पिता का नाम प्रभात्या सहवन से अंकित कर दिया गया, जबकि वादी का सही नाम रामचन्द्र तथा वादी के पिता का नाम प्रभात है। जिस कारण उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामू के स्थान पर रामचन्द्र व वादी के पिता का नाम प्रहलाद एवं प्रभात्या के स्थान पर प्रभात अंकित कर राजस्व इन्द्राजात दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम व पिता का नाम दुरुस्त करवाने बाबत प्रतिवादी सं0 1 को प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2023 को पेश किया जिस पर प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी का नाम व पिता का नाम दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया गया लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ने वादी व उसके पिता का नाम दुरुस्त नहीं कर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु कहा। इसलिए उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजियात ग्राम किशनपुरा में स्थित भूमि हाल खाता सं0 195 तथा खाता सं0 196 में वादी व उसके पिता का नाम रामू पुत्र प्रहलाद के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र प्रभात तथा ग्राम उड्ग्वार उर्फ गुडलिया में स्थित भूमि हाल खाता सं0 42 में वादी के पिता का नाम प्रभात्या के स्थान पर प्रभात अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राजात दुरुस्त किये जाने बाबत प्रतिवादी सं0 1 को आदेशित किया जावे।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, बिजली का बिल, स्वयं की माता एवं पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र इत्यादि वाद पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं। प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार चौमूं की ओर से वादी व उसके पिता के नाम से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.12.2024 पेश की गई है, जिसके मुताबिक वादी रामू उर्फ रामचन्द्र पुत्र प्रहलाद उर्फ प्रभात, जाति कुम्हार, निवासी किशनपुरा अलग-अलग व्यक्ति ना होकर एक ही व्यक्ति को दो नामों से जाना जाता है।

प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि ग्राम किशनपुरा में अपना व अपने पिता का नाम रामू पुत्र प्रहलाद के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र प्रभात व ग्राम उड्ग्वार उर्फ गुडलिया में अपने पिता का नाम प्रभात्या के स्थान पर प्रभात दुरुस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार, तहसील चौमूं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी रामू पुत्र प्रहलाद व रामचन्द्र पुत्र प्रभात दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा वादी के पिता प्रभात्या व प्रभात दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। न्यायालय अभिमत में वादी का नाम रामू पुत्र

  
सहायक कलेक्टर  
चौमूं (जयपुर)

प्रहलाद के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र प्रभात तथा वादी के पिता का नाम प्रभात्या के स्थान पर प्रभात दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम किशनपुरा, पटवार हल्का किशनपुरा, भू-अभि0 निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वादी की खातेदारी भूमि हाल खाता सं0 195, जिसके खसरा नं0 1026 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 962 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 971 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 974 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 975 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 979 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 981 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 986 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.32 है0, कुल किता 13 का कुल रकबा 2.77 हैक्टेयर, हाल खाता सं0 196 के आराजी खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 989/1552 रकबा 0.05 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर तथा वाके ग्राम उड़गवार उर्फ गुड़लिया, पटवार हल्का गुड़लिया, भू-अभि0 निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 42 के आराजी खसरा नम्बर 51/2 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 52/1 रकबा 3.77 है0, खसरा नम्बर 53/1 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 986/52 रकबा 0.08 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर भूमि में वादी के हिस्से की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामू पुत्र प्रहलाद के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र प्रभात तथा वादी के पिता का नाम प्रभात्या के स्थान पर प्रभात दुरुस्त कर तदनुसार इन्द्राज किया जावे।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक क्लर्क  
सहायक क्लर्क  
चौमूं (जयपुर)

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जिला जयपुर**  
पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गुजर (R.A.S.)

**उनवान**

रामचन्द्र उर्फ रामू पुत्र प्रभात, उम्र 65 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी-

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. नन्ही देवी पुत्री प्रहलाद
3. मनभरी देवी पुत्री प्रहलाद
4. मूलचन्द पुत्र मालीराम
5. मीरा देवी पुत्री मालीराम
6. रतन पुत्र मालीराम
7. सुनील पुत्र मालीराम
8. कजोड़मल पुत्र हनुमान सहाय
9. कैलाशचन्द पुत्र हनुमान सहाय
10. कौशल्या देवी पुत्री मालीराम
11. गंगा देवी पुत्री हनुमान सहाय
12. छोटूराम पुत्र हनुमान सहाय
13. जगदीश पुत्र गुल्लाराम
14. जमना देवी पुत्री हनुमान सहाय
15. देवीसहाय पुत्र सुन्दर
16. पतासी देवी पुत्री गुल्लाराम
17. प्रेम देवी पुत्री गुल्लाराम
18. बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम
19. विमला देवी पुत्री गुल्लाराम
20. भूरी देवी पत्नी मालीराम
21. भंवरी देवी पुत्री प्रहलाद
22. मंजू देवी पुत्री मालीराम
23. मुरली देवी पुत्री गुल्लाराम
24. राजकुमार पुत्र हनुमान सहाय
25. रामकिशोर पुत्र सुन्दर
26. रामजीलाल पुत्र गुल्लाराम
27. रामदयाल पुत्र गुल्लाराम
28. शंकरलाल पुत्र गुल्लाराम
29. शान्ति देवी पुत्री हनुमान सहाय
30. सुभाषचन्द पुत्र गुल्लाराम
31. सुमित्रा देवी पुत्री गुल्लाराम
32. सांवरमल पुत्र सुन्दर

(अभिज्ञ) श्री प्रियंका बड़गुजर  
सहायक कलक्टर  
चौमूं, जयपुर

33. सोनी देवी पुत्री प्रहलाद
34. सोहनी देवी पुत्री गुल्लाराम
35. हंसा देवी पुत्री गुल्लाराम
36. गोविन्दराम पुत्र सुन्दर
37. फूलचन्द पुत्र गोपीराम
38. मुकेश पुत्र गोपीराम
39. महेश पुत्र गोपीराम
40. शिम्भूदयाल पुत्र सुन्दर

समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण—

### वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नम्बर :-101/2023

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

वाके ग्राम किशनपुरा, पटवार हल्का किशनपुरा, भू-अभि0 निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वादी की खातेदारी भूमि हाल खाता सं0 195, जिसके खसरा नं0 1026 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 962 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 971 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 974 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 975 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 979 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 981 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 986 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.32 है0, कुल किता 13 का कुल रकबा 2.77 हैक्टेयर, हाल खाता सं0 196 के आराजी खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 989/1552 रकबा 0.05 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर तथा वाके ग्राम उड्गवार उर्फ गुड़लिया, पटवार हल्का गुड़लिया, भू-अभि0 निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 42 के आराजी खसरा नम्बर 51/2 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 52/1 रकबा 3.77 है0, खसरा नम्बर 53/1 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 986/52 रकबा 0.08 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर भूमि में वादी के हिस्से की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामू पुत्र प्रहलाद के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र प्रभात तथा वादी के पिता का नाम प्रभात्या के स्थान पर प्रभात दुरुस्त कर तदनुसार इन्द्राज किया जावे।

सहायक कलक्टर  
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0-101/2023

उनवान-रामचन्द्र उर्फ रामू बनाम राज0 सरकार वगै0

निर्णय दिनांक:-08.01.2025

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह

..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 08.01.2025 को जारी किया गया।

मोहर  
सहायक कलक्टर  
चौमूँ (जयपुर)

दस्तखत.....  
सहायक कलक्टर  
ओहदा.....  
चौमूँ (जयपुर)

### वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	4
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	6	जोड़	4

सहायक कलक्टर  
चौमूँ (जयपुर)